



Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: [www.scert.cg.gov.in](http://www.scert.cg.gov.in) Email: [scertcg@gmail.com](mailto:scertcg@gmail.com)

क्र./एम.एड.प्रवेश/2014-15/ 1316

रायपुर, दिनांक ..... 05.04.14.....

प्रति,

प्राचार्य,


1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
2. शासकीय उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई

विषय :- एम.एड.प्रवेश सत्र 2014-15 बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

विवरणिका के अनुसार चयन समिति का गठन कर एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें एवं परिषद् को अवगत करावें। अध्यापन कार्य दिनांक 17.06.14 से अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

संलग्न :- एम.एड.प्रवेश नियम एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति ।


  
( अनिल राय )  
संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र./एम.एड.प्रवेश/2014-15/ 1317  
प्रतिलिपि:

रायपुर, दिनांक ..... 05.04.14.....

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर।
5. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, रायपुर।

  
संचालक  
एस.सी.ई.आर.टी.छत्तीसगढ़ रायपुर



## एम.एड. 2014-15 हेतु प्रवेश नियम

1. शासकीय उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान (IASE) बिलासपुर (शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2013-14 में एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश हेतु निम्नांकित वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं :-

(अ) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला।

(ब) आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक, समकक्ष वर्ग के अन्य कार्यरत पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला।

(स) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग के व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत)।

(द) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी आवेदक (जो सेवा में नहीं है)।

2. निर्धारित स्थान:-

क्र.	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग			आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग		सीधी भर्ती	कुल योग
		प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पाठक पूर्व मा. शा./उ. श्रे.शि.	प्राचार्य	व्याख्याता	प्र.पाठक पूर्व मा. शा./उ. श्रे.शि.	व्याख्याता पंचायत	शिक्षक पंचायत		
1	शास.शि.महा. रायपुर	4	7	3	4	5	3	3	2	4	35
2	शास. उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर	4	7	3	4	5	3	3	2	4	35
3	कल्याण महावि. सेक्टर-6, भिलाईनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35
	कुल योग	8	14	6	8	10	6	6	4	43	105

3. एम.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय प्रशासन विकास विभाग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।

किसी भी एक विभाग में सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों का परस्पर परिवर्तन कर भरे जायेंगे। सीटों का परस्पर परिवर्तन निम्नानुसार होगा,-

- I. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीट भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विकास विभाग के क्रम से भरी जाएगी।  
जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य संवर्ग की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के व्याख्याता से तथा व्याख्याता संवर्ग की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के प्रधानपाठक पूर्व मा.शा./उ.श्रेणी शिक्षक से भरी जाएगी। विभाग की सीटें इस प्रक्रिया के बाद भी रिक्त रहने पर ये सीटें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से इसी क्रम में भरी जाएगी। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग से इसी क्रम में भरी जाएगी।
  - II. उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार सीटें परिवर्तन करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो ये सीटें पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन विकास विभाग के व्याख्याता (पंचायत) शिक्षक (पंचायत) से पद वरिष्ठता क्रम में सीटें भरी जायेंगी।
4. न्यूनतम अर्हताएँ: उपरोक्त वर्ग 'अ', 'ब' व 'स' के लिए—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
  2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
  3. बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
  4. आवेदक की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष, से अधिक न हो।
  5. मान्यता प्राप्त पत्राचार पाठ्यक्रम के बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड. में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
5. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त वर्ग 'द' के लिए :-
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण आवेदक एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
  2. मान्यता प्राप्त पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड. उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
  3. बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं होगा।
  4. आवेदक की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
  5. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  6. आचरण प्रमाण-पत्र अंतिम संस्था के प्राचार्य का प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. प्रवेश हेतु शर्तें :-
1. स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आवेदकों का चयन प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को अपनी वरिष्ठता संबंधी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) को प्रथम नियुक्ति का आदेश, प्रथम नियुक्ति का दिनांक (पदभार ग्रहण करने का दिनांक) के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका की छायाप्रति तथा पदोन्नति होने की स्थिति में उनके आदेश की प्रति आवेदन में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में आवेदन निरस्त किये जायेंगे।

2. शासकीय उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान (IASE) बिलासपुर व शास. शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. के चयनित छात्राध्यापकों हेतु वेतन व्यवस्था पूर्व संस्था से ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
3. आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चयनित आवेदकों के वेतन आदि की व्यवस्था उनके विभाग द्वारा पूर्व वर्षों की भांति ही की जाएगी। व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) की वेतन व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।
4. आवेदकों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।
5. चयनित समस्त आवेदकों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
6. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण की मांग नहीं की जावेगी।
8. चयन होने एवं प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर आगामी दो वर्षों तक आवेदकों को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा।
9. सीधी भर्ती के स्थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विकलांग/विधवा/परित्यक्ता भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान राज्य शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। 4 सीट्स के लिए सीटों का आबंटन निम्नानुसार किया जायेगा :-

	ST	SC	OBC	UR	कुल सीट्स
	32% (1.28)	12% (.48)	14% (.56)	(1.68)	04
यदि सत्र 2013-14 तो	1	1	-	2	4
अगले सत्र 2014-15 में	1	-	1	2	4

(नोट - उपरोक्त सीटों में से किसी भी संवर्ग की कम से कम एक सीट यथा स्थिति नियमानुसार महिला वर्ग से भरा जाये।)

10. वर्ग (अ), (ब) एवं (स) के आवेदकों ने विगत दो वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो। परिवीक्षा अविधि में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) के आवेदन का प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
  11. चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीय आवेदकों के लिए वरिष्ठता रहेगी। उम्मीदवारों के वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। आयु की समानता होने की स्थिति में बी.एड. के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जायेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(1)वर्ग "अ" "ब" व "स" के लिए -

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आवेदकों को प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अपनी संस्था प्रमुख से अग्रेषित करना होगा। संस्था प्रमुख आवेदन को अग्रेषित कर संबंधित जिला शिक्षा

अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 15.05.14 तक भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आवेदन को चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 30.05.14 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। आवेदकों द्वारा एक अग्रिम प्रति सीधे महाविद्यालय भेजा जा सकता है परन्तु जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त से अग्रेषित आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। शासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत आवेदक अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त के माध्यम से ही आवेदन पत्र संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय प्रशासन विभाग के व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने से पहले आवेदन को संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करायेंगे तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से प्रति हस्ताक्षर करायेंगे।

**शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-**

- |                |                 |              |                |             |
|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1. रायपुर      | 2. महासमुंद     | 3. दुर्ग     | 4. राजनांदगांव | 5. कवर्धा   |
| 6. बस्तर       | 7. दंतेवाड़ा    | 8. धमतरी     | 9. कांकेर      | 10. बेमेतरा |
| 11. बलौदाबाजार | 12. बालोद       | 13. गरियाबंद | 14. सुकमा      | 15. बीजापुर |
| 16. कोण्डागांव | 17. नारायणपुर । |              |                |             |

**शासकीय उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान, बिलासपुर के संबद्ध शिक्षा जिला :-**

- |             |            |             |           |             |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1. बिलासपुर | 2. कोरबा   | 3. जांजगीर  | 4. रायगढ़ | 5. जशपुर    |
| 6. सरगुजा   | 7. सूरजपुर | 8. बलरामपुर | 9. कोरिया | 10. मुंगेली |

एम.एड. में प्रवेश हेतु शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित जिलों से प्राप्त आवेदनों को वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर चयन किया जावेगा।

(2) **वर्ग (द) के लिए :-**

सीधी भर्ती हेतु आवेदक जिस भी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं वे बी.एड. की वि.वि. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 7 दिवस के अंदर संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

- (3) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी आवेदकों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के आवेदकों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न पद का हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) आचरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। प्रवेश के समय मूल टी.सी. जमा करना होगा।
- (4) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (5) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के आवेदकों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।
- (6) विभागीय सीटों के लिए निर्धारित दिनांक 15.05.14 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं सीधी भर्ती के लिए विश्वविद्यालय की बी.एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के सात दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (7) चयन समिति में संचालक, के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे शेष प्रतिनिधियों में से एक —एक आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (सहायक विकास आयुक्त से अन्यून), शिक्षा विभाग से स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी सम्मिलित किये जायेंगे।

- (8) चयन सूची को एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर को भेजना होगा तथा ई-मेल पता [scertcg@gmail.com](mailto:scertcg@gmail.com) पर ई-मेल करना होगा। शिक्षक अपना चयन SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी देख सकते हैं।

**8. अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट -**

- I. आवेदक की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- II. आवेदक के विरुद्ध कोई जांच /आपराधिक मामला/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
- III. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर अग्रेषण न करें। इस हेतु सेवा पुस्तिका की उस पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें पदभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो संलग्न करना आवश्यक है।
- IV. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथि से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन अग्रेषित न करें।
- V. पंचायत विभाग के शिक्षकों वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षा कर्मी पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- VI. बी.एड. में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रात्र होंगे।
- VII. SC/ST/OBC वर्ग से आरक्षण का लाभ लेने जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- VIII. परिवीक्षा अविधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित नहीं करना है। प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण एवं सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जाँच प्रवेश देते समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

( अतिल राय )  
संचालक


एस.सी.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़ रायपुर



**एम.एड. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**  
**सत्र 2014-15**

प्रति,

- प्राचार्य,  
1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर  
2. शासकीय उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर  
3. कल्याण महाविद्यालय, से0-7, मिलाई नगर



**विषय :- एम.एड.प्रवेश हेतु सत्र 2014-15 आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम (उपनाम सहित) : .....
2. ई मेल : .....
3. टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर : .....
4. पद (यदि सेवारत हो तो) : .....
5. विभाग स्कूल शिक्षा / आदिम जाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / अन्य: .....
6. कार्यरत संस्था का नाम व पता : .....
- फोन नंबर : .....
7. क्या आप सीधी भर्ती के आवेदक हैं? हाँ / नहीं : .....
8. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उपाधि का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	मा.शि.मं./वि.वि. का नाम एवं जहां से उपाधि प्राप्त की है	विशेष
1.	माध्यमिक					
2.	उच्चतर माध्यमिक					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					
6.	पी.एच.डी./अन्य					

(अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. शासकीय सेवा के आवेदकों के लिए -  
(अ) वर्तमान पद : .....
  - (ब) पद पर नियमित/स्थायी है अथवा नहीं (स्पष्ट करें): .....
  11. जन्म तिथि - (अंकों में): ..... (शब्दों में) : .....
  - (जन्म तिथि हेतु आयु संबंधी प्रमाण-पत्र)
  12. दिनांक 01.07.14 को आयु: वर्ष ..... माह ..... दिन .....
  13. नियुक्ति दिनांक : (अ) प्रथम नियुक्ति दिनांक ..... पद .....
  - (ब) वर्तमान पद पर नियुक्ति /पदोन्नति दिनांक ..... पद .....
- प्रथम नियुक्ति व वर्तमान पद में नियुक्ति/पदोन्नति प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति तिथि के प्रमाण स्वरूप सेवा पुस्तिका की संबंधित पृष्ठ की संस्था प्रमुख से प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से आवेदन में संलग्न करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पर आपके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
14. विभागीय आवेदकों के लिए कंडिका 6 (10) के अनुसार विगत दो वर्षों में शासकीय व्यय पर किये प्रशिक्षण की अवधि एवं विवरण:

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	स्थल

15. क्या एम.एड.पाठ्यक्रम के लिए विगत दो वर्षों की अवधि में प्रवेश हेतु चयन किया गया था ?

यदि हाँ तो चयन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश लेकर पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़ देने के कारणों का विवरण दें।

16. निम्नलिखित में से जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न हो उनके सामने सही का चिन्ह (✓) लगायें।

- (1) हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (2) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (3) स्नातक की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (4) स्नातकोत्तर की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (5) बी.एड. की अंकसूची की सत्य प्रतिलिपि।
- (6) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
- (7) जाति प्रमाण-पत्र [केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए] की सत्य प्रतिलिपि।
- (8) विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्य होने का प्रमाण-पत्र।
- (9) आचरण प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि। (विभागीय शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।)
- (10) सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति पर पदभार ग्रहण करने आदेश एवं दिवस अंकित हो।

17. क्षेत्र की संस्था का नाम जहाँ के लिए पात्र हैं: .....

18. दी गई जानकारी की सत्यता का प्रमाणीकरण:

मैं ..... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मुझे प्रवेश से वंचित किया जाना स्वीकार है। मैं संस्था तथा विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी। मैंने सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन पत्र में संलग्न कर दी हैं। यदि एम.एड. प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन होता है तो मैं निर्धारित संस्था में पूरे सत्र प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा/करूँगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

पता .....

(जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके)

19. शिक्षक आवेदक के लिए अग्रेषणकर्ता का प्रमाण-पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारियों का उसके अभिलेख से मिलान कर लिया गया है और वे सही पायी गई है। आवेदक गत ..... वर्ष से (वर्तमान पद) ..... पद पर कार्यरत है। आवेदक का कार्य व व्यवहार ..... हैं।

दिनांक .....

अग्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर

पद मुद्रा



20. स्कूल शिक्षा विभाग के आवेदक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र :  
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग संस्थान में .....पद पर कार्यरत हैं तथा नियमित पद पर हैं।

दिनांक .....

प्रति हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी  
पद मुद्रा

21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के विद्यालयों के आवेदकों के लिए:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयाँ का विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं से मिलान कर लिया गया है। आवेदक वांछित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक अजा, अजजा, अपिव एवं अ.क.विभाग में ..... पद पर कार्यरत हैं।

प्रति हस्ताक्षर  
सहायक आयुक्त  
अ.जा., अ.ज.जा., पि.वर्ग एवं अ.क.विभाग  
पद मुद्रा .....संभाग (छ.ग.)

22. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आवेदकों के लिए प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करती है। आवेदक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत .....शाला में .....पद पर कार्यरत है तथा उक्त पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक .....है।

23. नगरीय प्रशासन विकास विभाग के आवेदकों के लिए प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारीयाँ विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं की पूर्ति करता है। आवेदक नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अन्तर्गत .....शाला में .....पद पर कार्यरत है तथा उक्त पद पर नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक .....है।

प्रति हस्ताक्षर  
नगर निगम/मुख्य नगरपालिका  
/नगर पंचायत अधिकारी  
पद मुद्रा

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  
पद मुद्रा